RCMS
2019/00123

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

सुखी देवी बनाम गुरमीत कौर आदि

धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 53 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
22.05.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 01.04.2019, 24.04.2019 व 25.04.2019 के विरूद्ध पेश की है जबकि अपीलांट द्वारा अपील के शीर्षक में अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 01.04.2019 व उसके पश्चात स्थगन आदेश की अवधि दिनांक 25.01.2019 से 20.05.2019 तक बढायी गई को निरस्त करने का निवेदन किया है जबकि 25.01.2019 से 20.05.2019 तक कोई स्थगन आदेश जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2019 को जारी किया गया एवं दिनांक 25.04.2019 से 22.05.2019 तक बढायी गई है। अपीलांट दिनांक 25.04.2019 को अधी. न्यायालय में उपस्थित हो चुका है एवं उसके द्वारा जबाब हेतु अवसर चाहा है। यहां तक अपीलांट का कथन है कि वह अभिलिखत खातेदार है उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में अपीलांट अपने कथन अधी. न्यायालय में जबाब पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलांट द्वारा अपील का शीर्षक त्रुटिपूर्ण पेश किया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश होने से एवं अपील त्रुटिपूर्ण होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर होकर, नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।	